



वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत वाराणसी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एवं प्राधिकरण प्रशासन के मध्य दिनांक 13.01.2026 को सम्पन्न वार्ता में भुगतान की समय सीमा बढ़ाकर 02 वर्ष किये जाने की सहमति के क्रम में वर्ष 2012 से प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर योजना, मोहनसराय के संचालन/क्रियान्वयन हेतु प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही की जा रही है। प्राधिकरण बोर्ड की 133वीं बैठक दिनांक 09.06.2025 में योजना हेतु पारित निर्णय कि "लाटरी के माध्यम से रू० 27,900.00 प्रति वर्गमीटर की दर पर कार्यालय उपयोग हेतु पूर्व के आवेदको को उपलब्ध प्लॉट/भूखण्डों को आवंटित किया जाय"। योजना के अन्तर्गत लाटरी हेतु पात्र 60 आवेदको को पंजीकरण धनराशि दिनांक 10.01.2026 तक जमा किये जाने की सूचना पत्र के माध्यम से प्रदान किया जा चुका है लेकिन कुछ आवेदको द्वारा पंजीकरण धनराशि अभी तक जमा नहीं किया गया है। प्राधिकरण प्रशासन द्वारा जनहित में वर्ष 2012 के आवेदको को लाटरी में प्रतिभाग करने हेतु पंजीकरण धनराशि दिनांक 07.02.2026 तक अनिवार्य रूप से जमा किये जाने हेतु एक अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। लाटरी दिनांक 18.02.2026 को प्राधिकरण सभागार में प्रातः 11.30 बजे सम्पन्न होगी। उक्त की सहायता हेतु पूर्णिमा यादव मो०न०-9580956031 तथा वाराणसी विकास प्राधिकरण कार्यालय के हेल्पडेक्स अथवा सम्पत्ति अनुभाग में सम्पर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। सूचना प्राधिकरण की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।


प्रभारी अधिकारी(सम्पत्ति)